

कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना (मध्य प्रदेश)

(संयुक्त नवीन कलेक्टर कार्यालय भूतल-कक्ष क0 40 इन्द्रपुरी कालोनी पन्ना म0प्र0)

(कार्यालय दूरभाष एवं फैक्स क. 07732-252002)

ईमेल आई.डी.कमांक dmpanna@nic.in

कमांक /162/स्थापना/राजस्व डी.ई.ओ. भर्ती/2025

पन्ना, दिनांक 13 मार्च 2025

// संशोधित विज्ञप्ति //

लोक सेवाओं के प्रबंधन के गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ-2/10/2012/सात/4-ए भोपाल दिनांक 09 अगस्त 2017 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर (राजस्व स्थापना) जिला पन्ना के अधीन कार्यालय तहसील/अनुविभाग एवं जिला स्तर पर सृजित कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के संविदा पदों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पदों का विवरण शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हताएं संविदा नियुक्ति की शर्तें आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क0	पदनाम	मानदेय	पदों का वर्गवार विवरण											योग	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
			अनारक्षित		EWS		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.				
			पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर (संविदा)	22770/- (बाईस हजार सात सौ सत्तर रुपये) प्रतिमाह	02	00	00	00	01	01	01	00	00	00	05	दिनांक..... (सायं 6.00बजे तक)	

2.1- तालिका में दर्शित स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 20 मार्च 2025 से दिनांक 03 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जायेगे, जिसका शुल्क (पोर्टल शुल्क रु. 200/- एवं जी.एस.टी.) प्रति अभ्यर्थी के मान से लिया जायेगा।

2.2- संविदा अवधि 01 वर्ष की होगी। नियुक्त व्यक्ति का वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने की दशा में एक-एक वर्ष की सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

(3) अर्हताएं:-

3.1 मान्यता प्राप्त बोर्ड/मंडल से न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3.2 कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी.) में तीनों सेक्शन में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3.3 एमएस ऑफिस तथा डाटावेस साफ्टवेयर में कार्य करने का तीन साल का अनुभव प्रमाण-पत्र।

3.4 कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता।

3.5 डाटा फिडिंग के कार्य की जानकारी।

3.6 दस्तावेज की स्कैनिंग।

उक्त वर्णित अर्हताएँ विज्ञापन दिनांक तक अर्जित होना आवश्यक है।

(4) पात्रता :-

4.1 उम्मीदवार म0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए।

4.2 दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक (शासकीय विभाग/उपक्रम/मंडल में संविदा में कार्यरत कर्मचारियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्तजन के लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी)।

(5) नियुक्ति की प्रक्रिया :-

5.1 आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हता के परीक्षण उपरांत मेरिट का निर्धारण कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी.) में कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा, लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग में क्वालिफाई किया हो। यदि दो या अधिक आवेदकों के कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में समान अंक होंगे तो हिन्दी

टाईपिंग के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा और यदि कम्प्यूटर प्रोफिशियन्सी एवं हिन्दी टाईपिंग में समान अंक होने पर अंग्रेजी टाईपिंग के अंको के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा। मेरिट में दो आवेदको को कम्प्यूटर प्रोफिशियन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी नेट टाईपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता होगी। मेरिट सूची के आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन कर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक पन्ना जिले की वेबसाइट panna.nic.in एवं mponline.gov.in पर भी समस्त जानकारी देख सकते हैं।

5.2 उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जावेगा। कलेक्टर पन्ना का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

5.3 सभी विवादों का न्यायायिक क्षेत्र जिला पन्ना रहेगा।

5.4 मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी।

6. नियुक्ति की शर्तें:-

6.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदंड दिया जावेगा।

6.2 नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.) का फिटनेस चिकित्सा प्रमाण-पत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

6.3 नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवायें निर्धारित अवधि के दौरान एक माह के नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे।

6.4 नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रामिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।

6.5 नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति/निर्देश के कार्यालय से संबंधित कोई सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग या किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

6.6 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

6.7 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे।

6.8 नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन/कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

6.9 संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिवस तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जावेगा।

6.10 नियुक्त संविदा कर्मचारी को आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षणों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

6.11 नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी भी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।

6.12 नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक गतिविधि में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसकी नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

6.13 नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

6.14 म0प्र0 शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा।

7- प्रतीक्षा-

चयनित उम्मीदवारों से प्रत्येक के लिए कम से कम दो उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी।

8- प्रतीक्षा सूची की वैधता-प्रतीक्षा सूची की वैधता सामान्यतः एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

- 9- **संविदा अवधि-**
- 9.1 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाए जाने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।
10. **मानदेय**
शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य भत्ते/शासकीय आवास की पात्रता नहीं होगी।
- 11- **यात्रा एवं दैनिक भत्ता**
- 11.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर तृतीय श्रेणी कर्मचारी के समान यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।
- 11.2 ई.पी.एफ. कटौती के संबंध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होंगे।
- 12- **अवकाश**
- 12.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।
- 12.2 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा।
- 12.3 बिना अवकाश स्वीकृत के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का संविदा मानदेय देय नहीं होगा।
- 13- **विशेष:-**
- 13.1 संविदा नियमों पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस शर्त का नियुक्ति आदेशों में स्पष्टतः उल्लेख किया जावेगा।
- 13.2 दस्तावेजों का सत्यापन चयन समिति करेगी। फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
- 13.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
- 14- **विवादों का निपटारा**
किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।